जगदीश चंदर

बनाम

वी. रमेश चंदर एवं अन्य

26 अप्रैल, 2007

[एच. के. सेमा और आर. वी. रवींद्रन, जे. जे.]

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996

धारा 7 और 11-मध्यस्थता समझौता और मध्यस्थ की नियुक्ति साझेदारी विलेख में विवादों के निपटारे के खंड का प्रावधान यदि पक्षकार निर्धारित करते है कि विवादों को पारस्परिक रूप से निपटाया जाना है या मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाना है, तो साझेदारी विलेख का प्रसंगिक खण्ड एक मध्यस्थता समझौता नहीं है बल्कि एक ऐसा प्रावधान है जो मध्यस्थता को तभी सक्षम बनाता है जब पक्षकार उचित विचार के बाद पारस्परिक रूप से निर्णय लेते है कि विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाना चाहिए या नहीं।

इस खण्ड में विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने से पहले पक्षकारों की सहमति की आवश्यकता होती है। मध्यस्थता समझौता के अभाव में मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। धारा 89 सीपीसी

का भी मामलें में कोई अनुप्रयोग नहीं है- मध्यस्थता समझौते का गठन करने के संबंध में आवश्यक तत्व/तय किये गये सिद्घांत सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में दिये गये है जो धारा 89 सीपीसी 1908 के संबंध में निर्णय में वर्णित है।

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908: धारा 89-भले ही उक्त धारा अदालतों को लंबित वादों को कई वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं में से किसी के लिए संदर्भित करने का प्रावधान करती है लेकिन धारा 89 के तहत मध्यस्थता का संदर्भ तब तक नहीं हो सकता जब तक कि इस तरह के संदर्भ के लिए पक्षकारों की आपसी सहमति न हो।

शब्द और वाक्यांशः "विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा यदि पक्षकार ऐसा निर्धारित करते हैं",

उक्त अभिव्यक्ति का प्रयोग जो कि साझेदारी विलेख के विवाद के निपटान खंड में वर्णित है वहां शब्द ''निर्धारित'' का अर्थ पक्षकारों की सहमति से विवाद को संदर्भित करने के लक्ष्यार्थ है।

अपीलार्थी और प्रत्यर्थी संख्या 1 ने एक व्यावसायिक साझेदारी में प्रवेश किया।

विवादों के निपटारे से संबंधित साझेदारी विलेख के खंड 16 में वर्णित किया गया है

'' यदि भागीदारों के बीच साझेदारी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे भागीदारों द्वारा पारस्परिक रूप से तय किया जाएगा या यदि पक्षकार ऐसा निर्धारित करते है तो मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा'' इस खंड के प्रभाव पर प्रतिवादी संख्या एक ने साझेदारी फर्म के विघटन ओंर खातों के प्रत्यर्पण के संबंध में निर्धारण में मध्यस्थता ओंर सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11(5) और 11(6) के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया।

अपीलार्थी ने आवेदन का विरोध किया- अन्य बातों के साथ साथ यह आधार भी लिया कि साझेदारी विलेख में किसी भी विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं था ओंर साझेदारी विलेख का खंड 16 मध्यस्थता समझौता नहीं था। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जिन्होने आवेदन पर सुना यह निर्धारित किया कि खंड 16 एक मध्यस्थता समझौता है ओंर सेवानिवृत न्यायाधीश एक मात्र मध्यस्थ नियुक्त किया जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी ने वर्तमान अपील दायर की।

इस प्रश्न पर कि क्या साझेदारी विलेख का खंड 16 मध्यस्थता ओंर सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 के अर्थ के भीतर मध्यस्थता समझौता है। न्यायालय ने अपील की अनुमति दी एवं निर्धारित किया कि-

1.1 . मध्यस्थता समझौता की विशेषताओं व आवश्यक तत्व को ध्यान में रखते हुए ओंर मध्यस्थता समझौते के संबंध में इस न्यायालय के विभिन्न निर्णयों से सुस्थापित सिद्घांतों से कि किन तत्वों से मध्यस्थता समझौता बनता है। हस्तगत मामलें में साझेदारी विलेख का खंड 16 मध्यस्थता समझौता नहीं है जैसा कि मध्यस्थता ओंर सुलह अधिनियम 1996 की धारा 7 के तहत परिभाषित किया गया है। [पैरा 8 और 9] [725-ए, बी; 727-सी]

के. के. मोदी बनाम के. एन. मोदी, [1998] 3 एससीसी 573; भारत भूषण बंसल बनाम यू. पी. लघु उद्योग निगम लिमिटेड, [1999] 2 एस. सी. सी. 166; बिहार राज्य खनिज विकास निगम बनाम। एनकॉन बिल्डर्स (1) (पी) लिमिटेड, [2003] 7 एस. सी. सी. 418 और उड़ीसा राज्य बनाम दामोदर दास, [1996] 2 एस. सी. सी. 216, पर भरोसा किया।

1.2. जब साझेदारी विलेख का खंड 16 इन शब्दों का उपयोग करता है कि " विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा यदि पक्षकार इस प्रकार निर्धारित करते हैं", इसका अर्थ है कि यह एक मध्यस्थता समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रावधान है जो मध्यस्थता को तभी सक्षम बनाता है जब पक्षकार उचित विचार के बाद पारस्परिक रूप से निर्णय लेते हैं कि विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए या नहीं। "निर्धारित करें" अभिव्यक्ति इंगित करती है कि दोनो पक्षों के विवेक

के उपयोग से निर्णय तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। वास्तव में इस खंड में विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने से पहले पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है।

मध्यस्थता समझौते की मुख्य विशेषता अर्थात्, विवादों के समाधान से संबंधित खंड 16 में विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए सर्वसम्मति का अभाव है। [पैरा 9] [727-ए, बी, सी]

वेलिंगटन बनाम किरीट मेहता, [2000] 4 एस. सी. सी. 272 और ज्योति ब्रदर्स बनाम श्री दुर्ग माइनिंग कंपनी, ए. आई. आर. (1956) कैल 280, उद्धृत।

2.1 . अपीलार्थी का यह तर्क कि साझेदारी विलेख के खंड 16 व धारा 89 सीपीसी के संयुक्त पठन से विवाद मध्यस्थ को भेजा जा सकता है, गुणावगुण पर नहीं है। अधिनियम की धारा 11 का उददेश्य एवं प्रभाव विशिष्ट एवं संकीर्ण है, इसलिए जो शक्ति अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रयुक्त की जाती है वह न्यायिक शक्ति है एवं इस प्रक्रिया के द्वारा केवल मध्यस्थ अभिकरण की नियुक्ति की जाती है। विवाद ऐसे नहीं है जो मुख्य न्यायाधिपति या उसके नाम निर्देशित द्वारा अभिनिर्धारित किया जावे। इसलिए धारा 89 सीपीसी का कोई अनुप्रयोग नहीं है। यह भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि भले ही धारा 89 अदालतों को लंबित मुकदमों को उसमें उल्लिखित कई वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं में

से किसी को भी संदर्भित करने के लिए अनिवार्य करती है, तो भी ऐसे मामलें को मध्यस्थता के लिए संदर्भ नहीं किया जा सकता जब तक कि पक्षकारों में ऐसे संदर्भ के लिए आपसी सहमति न हो। [पैरा 10] [727-एफ, जी, एच; 728-ए]

एस. बी. पी. एंड कंपनी वी. पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड [2005] 8 एस. सी. सी. 618, संदर्भित।

2.2. मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व जैसा कि अधिनियम की धारा 7 में परिभाषित है मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित द्वारा अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण को नियुक्त करने की शक्ति के प्रयोग के लिए अधिनियम की एक पूर्ववर्ती शर्त है।

मध्यस्थता समझौते या आपसी सहमति के अभाव में पक्षों के बीच विवादों पर निर्णय लेने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नामित मध्यस्थता समझौते के अभाव में, मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं कर सकता। मध्यस्थ की नियुक्ति के आदेश को अपास्त किया गया। [पेरा 11 और 12] [728-ए, बी, सी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः 2002 की सिविल अपील सं. 4467/2002

उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 10.07.2001 से 1997 के मध्यस्थता आवेदन संख्या 284 में नई दिल्ली में दिल्ली सरकार की ओर से।

अपीलार्थी की ओर से ललिता कोहली (मनोज स्वरूप की ओर से) और अरविंद गौर। उत्तरदाताओं के लिए रोहित मिनोचा, एस. पी. शर्मा और अश्विनी भारद्वाज।

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधिपति आर वी रविन्द्रन न्यायाधीश, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया थाः

प्रस्तुत अपील विशेष अनुमति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के नामित द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-07-21 जिसके तहत मध्यस्थता आवेदन संख्या 284/1997 में मध्यस्थता ओंर सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 (5) ओंर (6) को अनुमति दी गयी के विरूद्घ प्रस्तुत की गयी।

2. अपीलार्थी ओंर प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांक 09-01-1964 के तहत एक साझेदारी में प्रवेश किया ताकि एंपायर आर्ट इंडस्रटरीज के नाम व शैली व्यवसाय को जारी रखा जाए। इस साझेदारी विलेख के पद संख्या 16 में विवादों के निपटान से संबंधित खंड है जो खंड निम्नानुसार वर्णित है-

"(16) यदि साझेदारी के जारी रहने के दौरान या किसी भी समय बाद में साझेदारी को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है तब भागीदारों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णय लिया जाएगा या यदि पक्षकार ऐसा निर्धारित करते हैं तो उसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।"(जोर दिया गया)

3. प्रत्यर्थी संख्या 1 ने साझेदारी फर्म के विघटन और खातों प्रत्यर्पण के संबंध में विवाद पर निर्णय हेतु मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए आवेदन दायर किया। उक्त आवेदन में प्रत्यर्थी संख्या 1 ने अपीलार्थी को प्रत्यर्थी संख्या 1 के रूप में पेश किया। प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 को भी प्रत्यर्थीगण के रूप में वर्णित किया गया एवं यह वर्णित किया कि दोनो भागीदारों ने वर्ष 1974 में प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 के साथ एक समझौता किया था जिसके तहत प्रत्यर्थी संख्या 2 से 6 को प्रत्यर्थीगण के व्यवसाय की निगरानी करनी थी और एक निर्धारित रकम दोनो भागीदारों को अदा करने की जो समय समय पर वृद्घित होती थी। प्रत्यर्थी संख्या 1 के अनुसार इस प्रकार की व्यवस्था ने वर्षों तक संतोषजनक रूप से काम किया लेकिन कुछ व्रषों की संपूर्ण राशि अपीलार्थी द्वारा प्राप्त की गयी एवं अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या 1 को उसका आधार हिस्सा नहीं दिया। अपीलार्थी ने याचिका का विरोध किया कि साझेदारी वर्ष 1979 में समाप्त हो गयी थी और सभी खातों का निपटारा कर दिया गया था उसमें यह भी

तर्क दिया कि साझेदारी विलेख में विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए कोई समझौता नहीं था। यह विशेष रूप से तर्क दिया गया है कि साझेदारी विलेख का खंड 16 मध्यस्थता समझौता नहीं था।

4. विद्वान न्यायाधीश जिसने धारा 11 के तहत आवेदन की सुनवाई की, उसे दिनांक 10-07-21 के आदेश द्वारा स्वीकार किया एवं यह निर्धारित किया कि यदि पक्षकारों का इरादा अपने विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का नहीं था तो मध्यस्थता का एक विशिष्ट उल्लेख करते हुए खंड 16 को शामिल करने कोई आवश्यकता नहीं थी ओंर इस तरह के प्रावधान की उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए ताकि मध्यस्थता को प्रोत्साहन दिया जा सके। विद्वान न्यायाधीश ने अभिनिर्धारित किया कि साझेदारी विलेख का खंड 16 एक मध्यस्थता समझौता था। विद्वान न्यायाधीश द्वारा उत्तरदाताओं संख्या 2 से 6 की आपत्ति के संबंध में कि वे साझेदारी विलेख या समझौते के लिए पक्षकार नहीं थे यह अभिनिर्धारित किया कि कार्यवाही का दायरा यह जांचने की सीमा तक सीमित था कि क्या यह मध्यस्थ की नियुक्ति का मामला था या नहीं ओंर यह निर्णय करना मध्यस्थ का काम था कि उतरदाताओं संख्या 2 से 6 उत्तरदाता उत्तरदायी थे या नहीं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संतोष दुग्गल को एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया गया था।

5. अपीलार्थी ने मध्यस्थ की नियुक्ति के उक्त आदेश को चुनौती दी। यह तर्क दिया गया कि अधिनियम की धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने की शक्ति का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब पक्षों के बीच एक वैध मध्यस्थता समझौता हो और चूंकि पक्षों के बीच कोई मध्यस्थता समझौता नहीं है, इसलिए मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी। अपीलार्थी द्वारा वेलिंगटन बनाम किरीट मेहता, [2000] 4 एस. सी. सी. 272 में निर्णय पर मजबूत निर्भरता रखी गई थी। जहाँ भारत के मुख्य न्यायाधीश के एक नामित ने अभिनिर्धारित किया कि निम्नलिखित खंड एक 'मध्यस्थता समझौता' नहीं थाः

> "पक्षकारों द्वारा और उनके बीच यह भी सहमति है कि कोई भी विवाद या अंतर जो इन उपहारों के संबंध में उत्पन्न होता है उससे मध्यस्थता के लिए मध्यस्थता अधिनियम 1940 के तहत इस प्रकार संदर्भित किया जाएगा कि प्रत्येक पक्षकार एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा औंर इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ एक निर्णायक नियुक्त करेंगे ओंर मध्यस्थता का स्थान बोम्बे रहेगा'विद्वान न्यायाधीश ने यह भी माना कि "हो सकता है" शब्द के उपयोग को "होगा" के रूप में नहीं माना जा सकता है और यह खंड केवल एक सक्षम प्रावधान था और मध्यस्थता में जाने के लिए एक नई सहमति आवश्यक थी। ज्योति ब्रदर्स

बनाम श्री दुर्ग माइनिंग कंपनी, ए. आई. आर. (1956) कलकता 280, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया उसे अनुमोदन हेतु उद्धृत किया।

6. इसलिए, एकमात्र सवाल जो इस मामले में विचार के लिए उत्पन्न होता है वह यह है कि क्या दिनांक 09-01-1964 की साझेदारी विलेख का खंड 16 अधिनियम की धारा 7 के अर्थ के भीतर एक 'मध्यस्थता समझौता' है।

7. अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) 'मध्यस्थता समझौते' को इस प्रकार परिभाषित करती है कि पक्षकारों द्वारा मध्यस्थता को प्रस्तुत करने के लिए एक समझौते के रूप में सभी या कुछ विवाद जो उत्पन्न हुए हैं या जो एक परिभाषित कानूनी संबंध के संबंध में उनके बीच उत्पन्न हो सकते हैं, चाहे संविदात्मक हों या नहीं, उप-धारा (2) में प्रावधान है कि एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में या एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। उप-धारा (3) में मध्यस्थता समझौते को लिखित रूप में होना आवश्यक है। उप-धारा (4) में प्रावधान है कि एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में है, यदि वह-(ए) पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज़ है या पत्रों, टेलेक्स, तार या दूरसंचार के अन्य साधनों के आदान-प्रदान में जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करते हैं, है या (सी) वक्तव्यों का विनिमय जो किसी दावा और बचाव के बयान जिसमें

समझौते के अस्तित्व का आरोप एक पक्ष द्वारा लगाया जाता है और दूसरे द्वारा इनकार नहीं किया जाता है।

8. इस न्यायालय के पास के. के. मोदी बनाम के. एन. मोदी, [1998] 3 एससीसी 573, भारत भूषण बंसल बनाम। यू. पी. लघु उद्योग निगम लिमिटेड, [1999] 2 एस. सी. सी. 166 और बिहार राज्य खनिज विकास निगम बनाम। एनकॉन बिल्डर्स (आई) (पी) लिमिटेड, [2003] 7 एससीसी 418। उड़ीसा राज्य में v. दामोदर दास, [1996] 2 एस. सी. सी. 216, में मध्यस्थता समझौते के गुणों या आवश्यक तत्वों का उल्लेख करने का अवसर था। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि एक समझौते में एक खंड को 'मध्यस्थता' के रूप में तभी माना जा सकता है जब समझौता केवल विवाद या मतभेदों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का समझौता हो। हम इस मोड़ पर मध्यस्थता का गठन करने के संबंध में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को निर्धारित कर सकते हैं।

(i) मध्यस्थता समझौते में प्रवेश करने के लिए पक्षों के इरादे को समझौते की शर्तों से एकत्र करना होगा। यदि समझौते की शर्तें स्पष्ट रूप से पक्षों की ओर से एक इरादे का संकेत देती हैं तो उनके विवादों को एक निजी न्यायाधिकरण को संदर्भित करने के लिए ओंर इस तरह के निर्णय से उन विवादों पर बाध्य होने की इच्छा थी, मध्यस्थता समझौता है। मध्यस्थता समझौते का कोई विशिष्ट रूप नहीं है, उपयोग किए गए शब्दों

को मध्यस्थता में जाने के लिए एक दृढ़ संकल्प और दायित्व का खुलासा करना चाहिए और केवल मध्यस्थता के लिए जाने की संभावना पर विचार नहीं करना चाहिए। जहां केवल भविष्य में मध्यस्थता के लिए सहमत होने वाले पक्षों की संभावना है, जैसा कि मध्यस्थता के लिए विवादों को संदर्भित करने के दायित्व से विपरीत है, ऐसा समझौता कोई वैध और बाध्यकारी मध्यस्थता समझौता नहीं है।

(ii) भले ही शब्द 'मध्यस्थता' और 'मध्यस्थ न्यायाधिकरण (या मध्यस्थ)' निपटान की प्रक्रिया के संदर्भ में या निजी न्यायाधिकरण का संदर्भ जिसे इस पर निर्णय लेना है, के साथ उपयोग नहीं किया जाता है। विवादों के निपटारे से संबंधित खंड में, इस खंड को मध्यस्थता समझौते से अलग नहीं करता है यदि इसमें मध्यस्थता समझौते के गुण या तत्व हैं। वे इस प्रकार हैंः (क) समझौता लिखित रूप में होना चाहिए, (ख) पक्षों को अपने बीच किसी भी विवाद (वर्तमान या भविष्य) को निजी न्यायाधिकरण के निर्णय के लिए संदर्भित करने के लिए सहमत होना चाहिए। (ग) निजी न्यायाधिकरण को निष्पक्ष तरीके से विवादों पर निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए, जिससे पक्षों को अपना मामला उसके समक्ष रखने का उचित अवसर मिल सके। (घ) पक्षकारों को इस बात पर सहमत होना चाहिए था कि निजी न्यायाधिकरण का निर्णय विवादों के संबंध में उन पर बाध्यकारी होगा।

(iii) जहां खंड यह प्रावधान करता है कि पक्षकारों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा यह एक मध्यस्थता समझौता है। जहाँ एक विशिष्ट और प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति द्वारा विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने का इरादा हो वहां यह आवश्यक नहीं है कि मध्यस्थता समझौते की विशेषताओं का वर्णन उस समझौते में हो। लेकिन जहां विवादों के निपटान के खंड में ऐसे शब्द शामिल है जो विशेष रूप से मध्यस्थता समझौते की विशेषताएं या मध्यस्थता को विचलित करते है तो ऐसा समझौता मध्यस्थता समझौता नहीं होगा। उदाहरण के लिए जहां एक समझौता में यह वर्णित हो कि किसी प्राधिकरण को किसी विवाद के निस्तारण के लिए बिना सुनवाई या प्राधिकरण किसी एक पक्षकार हितों को ध्यान में रखते हुए या प्राधिकरण का निर्णय दोनो पक्षों के लिए बाध्यकारी नहीं हो या दोनो में किसी पक्षकार प्राधिकरण के निर्णयों से संतुष्ट नहीं हो तो वह सिविल वाद दायर कर राहत प्राप्त कर सकते है ऐसी स्थिति मध्यस्थता समझौता नहीं होती है।

(iv) लेकिन केवल किसी खंड में शब्द 'मध्यस्थता' या 'मध्यस्थ' का उपयोग होने मात्र से ऐसा समझौता मध्यस्थता समझौता नहीं बनता है, यदि मध्यस्थता के संदर्भ में पक्षकारों की आगे की या नई सहमति मध्यस्थता को संदर्भित करने के लिए आवश्यक हो। उदाहरण के लिए जहां ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया हो '' पक्षकार यदि वे चाहे संदर्भ

मध्यस्थता के लिए ले सकते है ''या'' किसी भी विवाद की स्थिति में उन्हें समाधान के लिए मध्यस्थता पर विचार करना चाहिए'' इन खंडो में जिनमें विवाद के समाधान का उल्लेख हो ओंर इनसे यह दर्शित होता हो कि इन खंडों का आशय मध्यस्थता समझौता नहीं। इसी तरह इसी खंड में जिसमें यह वर्णित हो कि ''यदि पक्षकार चाहें तो विवाद मध्यस्थता को संदर्भित किया जाएगा'' या '' यदि पक्षकारों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है एवं वो सहमत हो तो विवाद मध्यस्थता को संदर्भित किया जाएगा''। उक्त तथ्य भी मध्यस्थता समझौता नहीं है। उक्त खंड केवल यह दर्शित करते है कि पक्षकारेां की इच्छा या आशा मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का निस्तारण करने की है या यह एक अस्थायी व्यवस्था है जिससे यह पता लगाया जा सके कि मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा हाे जाए, जब भी विवाद उत्पन्न हो। उन खंडों में यह आवश्यक है कि मध्यस्थता के लिए पक्षकार आगे की सहमति हेतु सहमति पर पहुंचे ताकि मध्यस्थता की जा सके, जब कभी भी विवाद उत्पन्न हो। कोई समझौता या खंड जो किसी समझौते में हो एवं जिसकी पूर्ति के लिए आगे की सहमति या सहमति की आवश्यकता मध्यस्थता के लिए मामलें को संदर्भित करने से पहले आवश्यक हो। ऐसा समझौता मध्यस्थता का समझौता नहीं है बल्कि एक ऐसा समझौता है जो भविष्य में मध्यस्थता समझौता करने के लिए समझौता हो।

9. साझेदारी विलेख के पैरा 16 में प्रावधान है कि यदि पक्षकारों के मध्य भागीदारी को लेकर कोई विवाद है तो ऐसे विवाद पर पक्षकारों द्वारा पारस्परिक रूप से निर्णय लिया जाएगा या यदि पक्षकार ऐसा निर्धारित करते है तो उसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

यदि खंड में केवल यह वर्णित हो कि पक्षकारों के बीच विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में उन्हें मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा तो यह मध्यस्थता समझौता होता है। लेकिन यदि यह वर्णित हो कि पक्षकार सहमत हो तो विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रावधान का स्वरूप पूरी तरह बदल जाता है। शब्द निर्धारित करे यह इंगित करता है कि पक्षकार विवेक का उपयोग करके निर्णय तक पहुंचे इसलिए, जब खंड 16 में प्रयुक्त शब्द "यदि पक्षकार ऐसा निर्धारित करते हैं तो विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा", तो इसका अर्थ है कि यह एक मध्यस्थता समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रावधान है जो मध्यस्थता को तभी सक्षम बनाता है जब पक्षकार उचित विचार के बाद पारस्परिक रूप से निर्णय लेते हैं कि विवादों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए या नहीं। वास्तव में, विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने से पहले खंड के लिए पक्षों की सहमति की आवश्यकता होती है। एक मध्यस्थता समझौते की मुख्य विशेषता, अर्थात्, विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने के लिए सहमति विवाद के निपटान से संबंधित खंड

16 में गायब है। इसलिए यह एक मध्यस्थता समझौता नहीं है, जैसा कि अधिनियम की धारा 7 के तहत परिभाषित किया गया है। मध्यस्थता समझौते के अभाव में, मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

10. प्रत्यर्थी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि साझेदारी विलेख का खंड 16 स्पष्ट रूप से इस इरादे का खुलासा करता है कि भागीदार एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया द्वारा साझेदारी से संबंधित अपने विवादों को निपटाएंगे। विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि भागीदारी विलेख के खंड 16 में यह आवश्यक है कि " विवादों को पारस्परिक रूप से तय करें "या" विवादों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करें "। उनके अनुसार, यह एक 'समझौता' समझौते की प्रकृति में है, यानी इसके लिए पक्षों को बातचीत (सुलह और मध्यस्थता) द्वारा विवादों का निपटारा करने की आवश्यकता होती है, और इस तरह की वार्ताओं द्वारा समाधान करने में विफल रहने पर, विवादों को समाधान के लिए मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि खंड में वह प्रावधान है जो धारा 89 सी. पी. सी. में है जो अब वैधानिक रूप से आवश्यक है। यह भी तर्क दिया कि सी. पी. सी. की धारा 89 के तहत, पक्षों को अपने विवादों को निपटाने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं का सहारा लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है, तो यहां कोई

कारण नहीं है कि पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद को इस मामले में वैकल्पिक विवाद निस्तारण प्रक्रिया के माध्यम से जिसमें मध्यस्थता विलेख के खंड 16 में वर्णित के अनुसार, संदर्भित न किया जाए। हालांकि यह तर्क आकर्षक है, लेकिन इसका कोई महत्व नहीं है। अधिनियम की धारा 11 का उद्देश्य और दायरा विशिष्ट और संकीर्ण है। यद्यपि अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रयोग की गई शक्ति न्यायिक शक्ति है जो प्रक्रियात्मक रूप से मध्यस्थता अधिकरण की नियुक्ति से संबंधित है। [एस. बी. पी. एंड कंपनी. वी. देखें। पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, [2005] 8 एस. सी. सी. 618, इस तरह के विवाद मुख्य न्यायाधीश या उनके नामित व्यक्ति के समक्ष नहीं हैं।

इसलिए, धारा 89 सी. पी. सी. प्रभावी नहीं है। यह भी अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए कि भले ही धारा 89 अदालतों को लंबित वादों को उसमें उल्लेखित कई वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रियाओं में से किसी एक के लिए संदर्भित करना होता है फिर भी धारा 89 सीपीसी के तहत पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि इस तरह के संदर्भ के लिए पक्षकारों की आपसी सहमति नहीं हो। ऐसा तभी हो जब ऐसा चाहा गया हो।

11. अधिनियम की धारा 7 के तहत परिभाषित मध्यस्थता समझौते का अस्तित्व मुख्य न्यायाधीश या उसके नाम निर्देशित द्वारा अधिनियम

की धारा 11 के तहत मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण की नियुक्ति की यह पूर्ववर्ती शर्त है। मध्यस्थता समझौते या आपसी सहमति के अभाव में पक्षों के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन करने के लिए मध्यस्थ नियुक्त करने की अनुमति नहीं है। दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश के नामित द्वारा ऐसी सहमति के अभाव में मध्यस्थ की नियुक्ति नहीं की जा सकती थी।

12. इसलिए अपील स्वीकार की जाती है। मध्यस्थ नियुक्त करने का आदेश अपास्त किया जाता है और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अधिनियम की धारा 11 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है। खर्चा पक्षकारों द्वारा अपना अपना वहन किया जाएगा।

आर. पी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मुकेश कुमार । (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।